

— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर ।

दिनांक- 01.07.2021

थाना कोशहर पुलिस द्वारा ₹ 10,000/- का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोशहर पुलिस द्वारा ₹ 10,000/- के इनामिया गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । दिनांक 10.01.2021 को थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग की विवेचना प्र०नि० रवीन्द्र प्रताप यादव थाना कोतवाली शहर द्वारा की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹ 10,000/- का इनाम घोषित किया गया था । दिनांक 01.07.2021 को प्र०नि० रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा उक्त गैंगेस्टर एक्ट के वांछित इनामिया अभियुक्त सूरज मौर्या उर्फ सोनू पुत्र कन्हैयालाल निवासी कंगाल पड़री थाना कोदेहात मीरजापुर को शैलेश तिराहा से गिरफ्तार कर मा०न्यायालय/जेल भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

सूरज मौर्या उर्फ सोनू पुत्र कन्हैयालाल निवासी कंगाल पड़री थाना कोदेहात मीरजापुर ।

आपराधिक इतिहास—

मु०अ०स०-35/2020 धारा 302,34,120बी भा०द०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

- 1- प्र०नि० रवीन्द्र प्रताप यादव थाना कोशहर मीरजापुर ।
- 2- का० हिमांशू वर्मा, का० अवध बिहारी व का० इरफान अंसारी ।

